

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.11(31)वित्त/आब/2024

जयपुर, दिनांक: 01/04/2024

आदेश

राजस्थान आबकारी सेवा (निवारक शाखा) नियम, 1967 के नियम 13 के अधीन गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा पर राजस्थान आबकारी सेवा में नियमित रूप से नियुक्त निम्नांकित अधिकारियों को उपायुक्त, आबकारी निरोधक दल (Level-16 in pay matrix) वर्ष 2025-26 की रिक्तियों में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	रिक्ति दिनांक	विशेष विवरण
1.	श्री हुकम सिंह सोढा	01.04.2025	—

पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पद को यथाआवश्यकता अस्थाई तौर पर कमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे।

पदोन्नत अधिकारियों के पदोन्नति आदेश उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार कार्यग्रहण कर सूचना इस विभाग को प्रेषित करेंगे।

पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।

आज्ञा से,


(वरुण मिश्रा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा10 मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त आदेश वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करने की व्यवस्था करें।
8. संबंधित अधिकारीगण।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव